सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 07, शुक्रवार, *शाके* 1947- मार्च 28, 2025 *Chaitra 07, Friday, Saka 1947- March 28, 2025*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2025

संख्या प.2(8)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इस अधिनियम की धारा 6, 30, 35 और 37, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें दिनांक 1 नवंबर, 2024 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 9 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति, "के प्रदाय" से पूर्व अभिव्यक्ति "और अविकृतिकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी मद्यसारिक या परिशोधित स्प्रिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है," अन्त:स्थापित की जायेगी।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के उपबंध" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अन्त:स्थापित की जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नई धारा-11क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"11क. साधारण चलन के परिणामस्वरूप उद्गृहीत नहीं किये गये या कम उद्गृहीत किये गये माल और सेवा कर की वसूली नहीं करने की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि-

(क) माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्ग्रहण (उसके गैर-उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई चलन साधारणतया प्रचलित था या है; और

(ख) ऐसे प्रदाय जो, निम्नलिखित के लिए दायी थे या हैं,-

(i) उन मामलों में, जहां उक्त चलन के अनुसार, राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर, या

(ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त चलन के अनुसार उद्गृहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम है,

तो राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे प्रदायों पर संदेय संपूर्ण राज्य कर या, यथास्थिति, ऐसे प्रदायों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त चलन नहीं होता तो, उन प्रदायों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त चलन के अनुसार, उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, या कम उद्गृहीत किया गया था या कम उद्गृहीत किया जा रहा है।"।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में,-

(i) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रदायकर्ता द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उस दशा में, जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा" और विद्यमान खण्ड (ख) के अंत में आये विराम चिह्न ":" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) उस दशा में जहां, बीजक, प्राप्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किये जाने की तारीख:";

(iii) प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (क) या खण्ड (ख)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या खण्ड (ग)" अंत:स्थापित की जायेगी।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अंत:स्थापित की जायेंगी और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित की हुई समझी जायेंगी, अर्थात्:-

"(5) उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उप-धारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामें नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जहां कि ,-

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवम्बर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से, या यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस कालावधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर, फाइल की जाती है,

इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खण्ड (झ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74, धारा 129 और धारा 130" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी कालावधि के संबंध में धारा 74" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के उपबंध" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(क) उप-धारा (2) के परन्तुक के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उक्त परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जायें।"।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (च) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कर संदत्त" से पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाये" अंत:स्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.**- खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" के अंतर्गत ऐसा प्रदायकर्ता सम्मिलित होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।"।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के उपबंध" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) धारा 51 के अधीन, स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए, मास के दौरान की गयी कटौतियों की एक विवरणी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में देगा:

परन्तु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गयी हों या नहीं, एक विवरणी देगा।"।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) के खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में विनिर्दिष्ट रीति" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(क) उप-धारा (3) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगा;

(ख) विद्यमान उप-धारा (14) के पश्चात् और विद्यमान **स्पष्टीकरण** से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल के शून्य दर प्रदाय के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल के शून्य दर प्रदाय के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जहां ऐसे माल का शून्य दर प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन हैं।"।

17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 61 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 62 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अंतर्विष्ट" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 63 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 63 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अंतर्विष्ट" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 64 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अधिकथित प्रक्रिया" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 65 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

22. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 66 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंत:स्थापित की जायेगी।

23. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 70 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 70 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) उप-धारा (1) के अधीन समन किये गये समस्त व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।"।

24. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 73 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 73 में,-

(i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति **"अन्य कारण से"** के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति **"असंदत्त या कम"** से पूर्व अभिव्यक्ति **"वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालावधि से संबंधित"** अंत:स्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालावधि से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।"।

25. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 74 में,-

(i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति **"छिपाने के कारण"** के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति **"असंदत्त या कम"** से पूर्व अभिव्यक्ति **"वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालावधि से संबंधित"** अंत:स्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात् और विद्यमान **स्पष्टीकरण 1.-** से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कालावधि से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।";

(iii) विद्यमान **स्पष्टीकरण 2** हटाया जायेगा।

26. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में धारा 74क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 74 के पश्चात् और विद्यमान धारा 75 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"74क. वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे संबंधित किसी कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.- (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है,

या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न वह नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, नोटिस की तामील करेगा:

परन्तु कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, एक हजार रुपए से कम है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर, उप-धारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न ऐसी कर कालावधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किये गये या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये कर अथवा गलत तरीके से लिये गये या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक कथन की तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे कथन की तामील, उप-धारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली कालावधियों से भिन्न ऐसी कर कालावधियों के लिए अवलंब किये गये आधार पूर्ववर्ती नोटिस में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, नोटिस की तामील समझी जायेगी ।

(5) उस मामले में, जहां कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,-

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपये, जो भी उच्चतर हो, होगी;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर के समतुल्य होगी।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किये गये अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट नोटिस जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उप-धारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परन्तु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत संयुक्त आयुक्त, राज्य कर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाले समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी, उप-धारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व, उक्त कालावधि को अधिकतम छह मास की कालावधि तक और बढ़ा सकेगा।

(8) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदत्त किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,-

(i) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, ऐसे कर के स्वयं के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन किसी नोटिस या, यथास्थिति, उप-धारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा;

(ii) कारण बताओं नोटिस के जारी करने के साठ दिवस के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त नोटिस के संबंध में समस्त कार्यवाहियां पूरी हुई समझी जायेंगी।

(9) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,-

(i) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, ऐसे कर के स्वयं के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उप-धारा (1) के अधीन किसी नोटिस की तामील नहीं करेगा;

(ii) नोटिस जारी करने के साठ दिवस के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी हुई समझी जायेंगी;

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिवस के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी हुई समझी जायेंगी।

(10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि उप-धारा (8) के खण्ड (i) या उप-धारा (9) के खण्ड (i) के अधीन संदत रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उप-धारा (8) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी, जहां स्व निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संगृहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की शोध्य तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं की गयी है।

(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) अभिव्यक्ति "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां" के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहां नोटिस उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को जारी किया जाता है और ऐसी कार्यवाहियों को इस धारा के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो, धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छिपाना" से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा नहीं करना, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता की घोषणा करे, अभिप्रेत है।"।

27. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 75 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 75 में,-

(क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74 की उप-धारा (2) और (10)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में विनिर्दिष्ट" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क की उप-धारा (2) और (7)" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उप-धारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन शास्ति, इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किये गये किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप, उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होते हैं, जिसको नोटिस जारी किया गया था, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उप-धारा (5) के खण्ड (i) के अधीन होगा।";

(ग) विद्यमान उप-धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जायेगा, यदि आदेश धारा 73 की उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (10) या धारा 74क की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।";

(घ) उप-धारा (11) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74 की उप-धारा (10)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में निर्दिष्ट" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क की उप-धारा (7)" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ङ) उप-धारा (12) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अंतर्विष्ट" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी;

(च) उप-धारा (13) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।

28. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 104 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) के **स्पष्टीकरण** में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में विनिर्दिष्ट" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क की उप-धारा (2) और उप-धारा (7)" अंतःस्थापित की जायेगी।

29. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 में,-

(क) उप-धारा (6) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस करोड़ रुपए", के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) उप-धारा (11) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।

30. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 109 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 109 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "करने के लिए," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील अधिकरण" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया जाता है, तो धारा 171 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के परीक्षण करने या न्यायनिर्णयन के लिए," अंतःस्थापित की जायेगी।

31. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 112 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा **112** में,-

(क) 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी करते हुए, उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन मास के भीतर" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कर सकेगा" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, जो भी पश्चात्वर्ती हो" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ख) 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी करते हुए, उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "छह मास में" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील अधिकरण" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चात्वर्ती हो" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ग) उप-धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील स्वीकार कर सकेगा" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या उप-धारा (5)" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" अंतःस्थापित की जायेगी;

(घ) उप-धारा (8) के खण्ड (ख) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास करोड़ रूपए" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "बीस करोड़ रूपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

32. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 122 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1ख) में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी करते हुए, विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो-" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है-" प्रतिस्थापित की जायेगी।

33. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 127 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 127 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 74" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 129" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जायेगी।

34. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 128क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 128 के पश्चात् और विद्यमान धारा 129 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"128क. कतिपय कर कालावधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गयी मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा, निम्नलिखित के अनुसार कर की कोई रकम संदेय है,-

(क) धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस या धारा 73 की उप-धारा (3) के अधीन जारी कथन, और जहां धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की कालावधि, या उसके किसी भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पूर्व, यथास्थिति, खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, तो धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त नोटिस या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, समाप्त हुई समझी जायेंगी:

परन्तु जहां धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है और धारा 75 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी, द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है तो, यथास्थिति, उक्त नोटिस या आदेश को, इस उप-धारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस या आदेश माना जायेगा:

परन्तु यह और कि उन मामलों में, जहां धारा 107 की उप-धारा (3) या धारा 112 की उप-धारा (3) के अधीन आवेदन किया जाता है या धारा 117 की उप-धारा (1) के अधीन या धारा 118 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परन्तुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती है, वहां इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या

अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है:

परन्तु यह भी कि जहां ऐसी ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गयी है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गयी कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गयी है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गयी है और उक्त उप-धारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उप-धारा (1) या धारा 112 की उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।"।

35. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 171 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) में,-

(क) अंत में विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक और स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है।

स्पष्टीकरण 1.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा के लिए अनुरोध" से, इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिये गये इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद "प्राधिकारी" के अंतर्गत "अपील अधिकरण" सम्मिलित होगा।"।

36. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात् और **स्पष्टीकरण 1** से पूर्व, निम्नलिखित नये पैरा अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"9. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किये गये व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किये गये व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदाय की गयी बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप।

10. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि पुन:बीमाकर्ता बीमा किये गये व्यक्ति द्वारा उक्त अध्यर्पित कमीशन या पुन:बीमा कमीशन सहित संदत्त पुन:बीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुन:बीमाकर्ता को सेवाएं, जिनके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुन:बीमा कमीशन, पुन:बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुन:बीमा प्रीमियम से, कटौती किया जाता है।"।

37. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.- उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं किया गया होता, यदि धारा 6 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

38. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2025

No. F. 2(8)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025

(Act No. 4 of 2025)

(Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2025)

An
Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.

(2) Sections 6, 30, 35 and 37 of this Act shall be deemed to have come into force on and from 27th day of September, 2024 and the remaining sections shall be deemed to have come into force on and from 1st day of November, 2024.

2. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing expression "alcoholic liquor for human consumption" and before the existing expression ", on the value", the expression "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (5) of section 10 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression " shall, *mutatis mutandis*", the expression "or section 74A" shall be inserted.

4. Insertion of new section 11A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 11 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice.- Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that-

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) such supplies were, or are, liable to,-

(i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or

(ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as

the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.".

5. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (3) of section 13 of the principal Act,-

(i) in clause (*b*), for the existing expression "by the supplier:", the expression "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted;

(ii) after clause (*b*) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(*c*) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:";

(iii) in the first proviso, after the existing expression "clause (*a*) or clause (*b*)" and before existing expression "the time of supply", the expression "or clause (*c*)" shall be inserted.

6. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After sub-section (4) of section 16 of the principal Act, the following new sub-sections shall be inserted and deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

(6)Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (*4*) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,-

(i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,

whichever is later.".

7. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (i) of sub-section (5) of section 17 of the principal Act, for the existing expression "sections 74, 129 and 130.", the expression "section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24." shall be substituted.

8. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 21 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression ", as the case may be,", the expression "or section 74A" shall be inserted.

9. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 30 of the principal Act,-

(a) in proviso to sub-section (2), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(b) after the said proviso, so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

10. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (3) of section 31 of the principal Act,-

(a) in existing clause (f), after the existing expression "of section 9 shall" and before the existing expression "issue an invoice", the expression ", within the period as may be prescribed," shall be inserted;

(b) after existing clause (g), the following new Explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-**For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.".

11. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 35 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression ", as the case may be,", the expression "or section 74A" shall be inserted.

12. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (3) of section 39 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

13. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (c) of sub-section (8) of section 49 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

14. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In proviso to sub-section (1) of section 50 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression "in respect of the said period", the expression "or section 74A" shall be inserted.

15. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (7) of section 51 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

16. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act,-

(a) in sub-section (3), the existing second proviso shall be deleted;

(b) after the existing sub-section (14) and before the existing **Explanation**, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.".

17. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (3) of section 61 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

18. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 62 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression ", where a registered person", the expression "or section 74A" shall be inserted.

19. Amendment of section 63, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 63 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing expression ", where a taxable person", the expression "or section 74A" shall be inserted.

20. Amendment of section 64, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 64 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

21. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (7) of section 65 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

22. Amendment of section 66, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 66 of the principal Act, after the existing expression "section 73 or section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

23. Amendment of section 70, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 70 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.".

24. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 73 of the principal Act,-

(i) in the heading, after the existing expression "**Determination of tax**" and before the existing expression "**not paid or**", the expression "**, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,**" shall be inserted;

(ii) after the existing sub-section (11), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.".

25. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 74 of the principal Act,-

(i) in the heading, after the existing expression "**Determination of tax**" and before the existing expression "**not paid or**", the expression "**, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,**"shall be inserted;

(ii) after the existing sub-section (11) and before the existing **Explanation 1**, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.";

(iii) the existing **Explanation 2** shall be deleted.

26. Insertion of new section 74A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 74 and before the existing section 75 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward.-** (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax

credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilized relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,-

(i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or

utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.- For the purposes of this section,-

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.- For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.".

27. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 75 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the existing expression "sub-sections (2) and (10) of section 74" and before the existing expression ", as the case may be", the expression "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted;

(b) after the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";

(c) for the existing sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";

(d) in sub-section (11), after the existing expression "sub-section (10) of section 74" and before the existing expression "where proceedings", the expression "sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;

(e) in sub-section (12), after the existing expression "section 74" and before the existing expression ", where any amount of self-assessed tax", the expression " or section 74A" shall be inserted;

(f) in sub-section (13), after the existing expression "section 74" and before the existing expression ", no penalty for the same act", the expression " or section 74A" shall be inserted.

28. Amendment of section 104, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In the Explanation to sub-section (1) of section 104 of the principal Act, after the existing expression "sub-sections (2) and (10) of section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted.

29. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 107 of the principal Act,-

(a) in clause (b) of sub-section (6), for the existing expression "twenty-five crore rupees", the expression "twenty crore rupees" shall be substituted;

(b) in the second proviso of sub-section (11), after the existing expression "section 74" and before the existing punctuation mark ".", the expression "or section 74A" shall be inserted.

30. Amendment of section 109, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 109 of the principal Act, after the existing expression "Revisional Authority" and before the existing expression " under this Act.", the expression ", or for conducting an examination or adjudicating the cases referred to in sub-section (2) of section 171, if so notified under the said section" shall be inserted.

31. Amendment of section 112, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 112 of the principal Act,-

(a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), after the existing expression "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" and before the existing punctuation mark ".", the expression "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later" shall be inserted;

(b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), after the existing expression "from the date on which the said order has been passed" and before the existing expression "for determination of such points arising out of the said order", the expression "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be inserted;

(c) in sub-section (6), after the existing expression "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)" and before the existing expression ", or permit the filing of a memorandum of cross-objections", the expression "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted;

(d) in clause (b) of sub-section (8),-

(i) for the existing expression "twenty per cent.", the expression "ten per cent." shall be substituted;

(ii) for the existing expression "fifty crore rupees", the expression "twenty crore rupees" shall be substituted.

32. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 122 of the principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), for the existing expression "Any electronic commerce operator who-", the expression "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52-" shall be substituted.

33. Amendment of section 127, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 127 of the principal Act, after the existing expression " or section 74" and before the existing expression "or section 129", the expression "or section 74A" shall be inserted.

34. Insertion of new section 128A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After existing section 128 and before existing section 129 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**128A. Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,-

(a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or

(b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or

(c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1)of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as maybe prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or

order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is made under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of state tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.".

35. Amendment of section 171, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 171 of the principal Act,-

(a) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(b) after sub-section (2) so amended, the following new proviso and Explanations shall be inserted, namely:-

"Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 1.- For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the

reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 2.- For the purposes of this section, the term "Authority" shall include the "Appellate Tribunal.".

36. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule III to the principal Act, after paragraph 8 and before **Explanation 1**, the following new paragraphs shall be inserted, namely:-

"9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the Central tax, the State tax, the Union territory tax and the Integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the Central tax, the State tax, the Union territory tax and the Integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

37. No refund of tax paid or input tax credit reversed.- No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 6 been in force at all material times.

38. **Repeal and savings**.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 (Ordinance No. 1 of 2024) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

ब्रजेन्द्र जैन,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।